No. 11(112)-3Lab-79/8187.—In pursuance of the provision of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. XIV of 1947), the Governor of Haryana is pleased to publish the following award of the Presiding Officer, Industrial Tribunal, Faridabad, in respect of the dispute between the workmen and the management of M/s. Indo-German Hair Nets Mfg. Co., Faridabad:—

BEFORE SHRI NATHU RAM SHARMA, PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, HARYANA, FARIDABAD

Reference No. 61 of 1979

between

THE WORKMEN AND THE MANAGEMENT OF M/S. INDO-GERMAN HAIR NETS MFG. CO., FARIDABAD

Present :

Shri Sagar Ram Gupta, for the workmen.

Shri S. L. Gupta, for the management.

AWARD

By order No. Fbd/128-78/5356, dated 6th February, 1979, the Governor of Haryana referred the following dispute between the management of M/s. Indo-German Hair Nets Mfg. Co., Faridabad and its workmen, to this Tribunal, for adjudication, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947:—

"Whether the workmen are entitled to the grant of bonus for the year 1977-78? If so, with what details ?"

On receipt of the order of reference, notices were issued to the parties. The parties appeared, settled the dispute and filed the set lement. I have gone through the settlement. It is jus and proper. I give my award in terms of the settlement. Settlement shall form part of the award.

Dated 13th July, 1979.

NATHU RAM SHARMA,
Presiding Officer,
Industrial Tribunal, Haryana,
Faridabad.

No. 675, dated 21st July, 1979.

Forwarded (four copies alongwith four copies of the settlement) to the Secretary to Government, Haryana, Labour and Employment Departments, Chandigarh, as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

NATHU RAM SHARMA,
Presiding Officer,
Industrial Tribunal, Haryana,
Faridabad.

मैसर्ज इन्डो-जरमन हेयर नैटस, 20/4, मथुरा रोड़, फरीदाबाद के प्रबन्धक और कारीगरों के बीच इन्डस्ट्रीयल डिस्पयूटस एक्ट, 1947 की धारा 12(3) के अन्तर्गत समझौता ।

प्रबन्धकों की ओर से ठाकुर महिन्द्र सिंह (मैनेजर) ।

कामगारों की ओर से :—

(1) श्री माताबदन .. सचिव

(2) श्री सुखपाल .. (उप-प्रधान)

(3) श्री गंगा दीन

(4) श्री डाल चन्द

(5) श्री रणबीर सिंह

(6) श्री देवतादीन

पदाधिकारी सोवरिन निट वर्कस एम्पलाईज यूनियन ।

संक्षिप्त विवरण

यह कि उपरोक्त यूनियन के प्रबन्धकों को एक मांग पत्र, दिनांक 27 नवम्बर, 1978 को दिया जिसके ऊपर लेबर आफिसर-कम-कन्सीलेशन आफिसर के दफ्तर में कार्यवाही चल रही है और 1977-78 के बोनस का विवाद इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल, हरियाणा, फरीदाबाद की अदालत को निर्णय हेतु सौंपा गया है।

दोनों पक्षों ने आपसी बातचीत द्वारा सभी विवादों का लेबर आफिसर एवं कन्सीलेशन आफिसर की मौजूदगी में निम्नलिखित समझौता तय पाया :

समझौते की शर्तें—

यह कि प्रबन्धकों ने ऐसे सभी कामगारों का जिन का वेतन 500 रुपये या 500 रुपये प्रतिमास से कम है, और जिन की सेवाएं कारखाने में एक साल से ऊपर हो गई हैं, ऐसे सभी कामगारों को 20 रुपये प्रति मास दिसम्बर, 1978 से देना मान लिया है। इस एड्हाक इंक्रीज से यूनियन की महंगाई भत्ते की मांग जोकि मांग पत्र की चार नम्बर पर है, की पूरी तरह से पूर्ति हो जाती है।

यह है कि उपरोक्त मांग पूरी होने के कारण यूनियन मकान का किराया, साईकिल अलाउंस और ग्रेडस एण्ड स्केल की मांग जोकि मांग पत्र में 1, 2 व 3 नम्बर पर है, को छोड़ती है और यह तीनों मांगें वापिस लेती है।

सात तारीख को वेतन का दिया जाना और ओवर टाईम का दुगना पैसा दिया जाना क्योंकि इन दोनों मांगों के लिए पहले ही कानून बना हुआ है, इस लिए यूनियन यह दोनों मांगें जोकि मांग पत्र के 5 और 7 नम्बर पर हैं, मांग पत्र से अलग करती है और वापिस लेती है।

दोनों पक्षों ने यह तय पाया कि सभी श्रमिकों को सन 1977-78 का बोनस इस साल के कमाए हुए वेतन का 12 प्रतिशत दिया जाएगा। यह बोनस पेमैन्ट आफ बोनस एक्ट, 1965 के अन्तर्गत दिया जाएगा। और प्रबन्धक इस का भुगतान इस महीने के (मार्च के) अन्त तक कर देंगे।

दोनों पक्षों ने यह भी सहमति में आपस में फैसला किया कि प्रबन्धक सन 1977-78 का बोनस इस साल के कमाए हुए वेतन का पेमैन्ट आफ बोनस एक्ट 1965 के अन्तर्गत 13 प्रतिशत दिया जाएगा और बोनस की आगामी मांग का भी निपटारा कर लिया है। और इस का भुगतान दीवाली पर कर दिया जाएगा। प्रबन्धकों ने यह भी माना है कि सभी श्रमिकों को नैशनल और फैस्टीवल होलीडेज आठ से बढ़ा कर नौं कर दी है। और यह एक बढ़ाई हुई छुट्टी जन्माष्टमी के त्यौहार की दी जायेगी।

यूनियन मांग पत्र की मांग नं. 9 और 11 को वापस लेती है। दोनों पक्षों में सहमति है कि यह एक्सपोर्ट इन्ड्स्ट्री होने के कारण लम्बे अरसे तक शांतिपूर्ण काम का होना बहुत जरूरी है और इसी सिद्धान्त को सामने रखते हुए इस समझौते की अवधि अक्तूबर 1980 तक रहेगी, क्योंकि अगले साल के बोनस के विवाद का भी समझौता हो गया है। यूनियन और श्रमिक मानते हैं कि सितम्बर, 1980 तक वो प्रबन्धकों के सामने कोई ऐसी मांग नहीं रखेंगे जिससे कम्पनी के ऊपर फाईनेन्सल बोझ पड़े। श्रमिक यह यकीन दिलाते हैं कि वो पूरी लगन से ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ायेंगे। और इस समझौते की अवधि में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कारखाने के अनुशासन या उत्पादन में कोई फर्क पड़े। प्रबन्धकों ने यह भी मान लिया है कि जिन कामगारों का कार्यकाल एक साल पूरा हो चुका है उन को परमानैन्ट किया जाए।

यूनियन अपनी अन्य सभी मांगों को वापिस लेती है।

इस फैसले की एक प्रतिलिपि इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल हरियाणा, फरीदाबाद की अदालत में पेश की जाएगी ताकि ट्रिब्यूनल का एवार्ड इस समझौते के मुताबिक दिया जाए।

दोनों पक्ष इस समझौते की शर्तों को सही मानते हुए आज 13 मार्च, 1979 को हस्ताक्षर करते हैं।

प्रबन्धकों की ओर से हस्ताक्षर

(1) (Sd.) Thakur Mohinder Singh

यूनियन और कामगारों की ओर से हस्ताक्षर

(1) (Sd.) Mata Badan
(2) (Sd.) Sukh Pal
(3) (Sd.) Gangadeen
(4) (Sd.) Dal Chand
(5) (Sd.) Ranbir Singh
(6) (Sd.) Devtadeen